

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 (कार्तिक 22, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरधरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले में भूख के कारण जहरीली वनस्पति खाने से आदिवासियों की मीत होने की ओर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अजय विनोई, सुश्री कुसुम सिंह, श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, जबलपुर नगर में मंदगी के कारण महामारी का प्रकोप फैलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बाबूलाल गीर, सभापति, लोक लेखा समिति का 235 वां से 253 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भगवत सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम जामगढ़ स्थित नहर पर बना लिफ्ट प्रोजेक्शन प्रारम्भ कराये जाने, एवं

(2) श्री जयसिंह मराठी, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम बंधवाटोला, पटबरिहा, घोघरा टोला एवं लसेनीपानी में विद्युतीकरण कराये जाने; तथा

(ख) ग्राम कोठी में कन्या हाईस्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 223 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2002-2003 की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

6. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यास महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नी) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

निर्धारित

समय

1 घंटा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 23 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा

30 मि.

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कुबकने को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया) नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र बिरधरे, कैलाश विजयबर्गीच, राजेन्द्र भारती (दलिया), लक्ष्मीकांत शर्मा, कुंवर विजय शाह, सर्वश्री रमाल सिंह, हिम्मल कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठावेंगे.

9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घंटे

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 12 नवम्बर, 2002

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.